कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(का0– 0135–2714074:फैक्स–0135–2651060: ई–मेल–nagarnigam.ddn@gmail.com)

पत्रांकः–............ / भूमि–20 दिनांकः–.................

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 541 के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक लाईसेन्स / पंजीकरण को नगर निगम देहरादून की स्वीकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यवसायों पर लाईसेन्स / पंजीकरण शुल्क लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिये निम्नानुसार नीति बनाया जाना प्राविधानित है। लाईसेन्स हेतु उक्त प्रस्तावित उपविधि के लागू होने की तिथि के उपरान्त पूर्व में प्राविधानिक लाईसेन्सों / पंजीकरण शुल्क उपनियम स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

अतः इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर आपत्ति नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून को सम्बोधित करते हुए कार्यालय नगर निगम देहरादून में प्रस्तुत किये जा सकते हैं, नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

परिभाषा :–

1. यह नीति नगर निगम देहरादून की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों को नियन्त्रण करने हेतु लाईसेन्स / पंजीकरण शुल्क एवं अन्य शुल्क उपविधि वर्ष 2020 कहलायेगी जो यह गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

   (क) अधिनियिम–अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिनियम 1959 यथा प्रभावी उत्तराखण्ड से है।

   (ख) नगर निगम सीमा से तात्पर्य–नगर निगम देहरादून जो शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है।

   (ग) नगर आयुक्त–नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम देहरादून के नगर आयुक्त से है।

   (घ) मेयर–मेयर का तात्पर्य नगर निगम देहरादून के निर्वाचित मेयर(महापौर) से है।

   (ड़) बोर्ड–बोर्ड का तात्पर्य नगर निगम देहरादून के बोर्ड से है।

   (च) लाईसेन्सिंग / पंजीकरण अधिकारी–लाईसेन्सिंग / पंजीकरण अधिकारी का तात्पर्य नगर निगम देहरादून के नगर आयुक्त एवं जिसे दायित्व सौंपा जाय से है।

2. निगर निगम देहरादून की सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति तभी व्यवसाय करने का पात्र होगा जब यह इस हेतु नगर निगम, देहरादून कार्यालय में निर्धारित शुल्क का भुगतान कर लाईसेंस प्राप्त कर लिया हो।
3. इस नियम / उपनियम के अन्तर्गत लाईसेन्स की अवधि प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष के लिए वैध होगी।
4. लाईसेन्स जारी करने हेतु लाईसेन्सिंग अधिकारी नगर आयुक्त होंगे या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी (यथा उप नगर आयुक्त / सहायक नगर आयुक्त / नगर स्वास्थ्य अधिकारी / कर अधीक्षक आदि) होंगे।
5. प्रत्येक व्यवसायी अथवा उद्यमी इन उपविधियों के अधीन नगर निगम देहरादून के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कराने पर प्रतिवर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6. लाईसेन्स अधिकारी को लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व उसके विवेकानुसार व्यवसायी दुकान/प्रतिष्ठान/हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/एजेन्सी/कम्पनी/प्रशिक्षण केन्द्र आदि का निरीक्षण करने को अधिकार होगा अथवा लाईसेन्स अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी जो कि निरीक्षक पद की श्रेणी से कम न हो जांच करने पर ही लाईसेन्स निर्गत करेगा।
7. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो छूत की बीमारी से पीड़ित हो तो स्वयं ऐसा व्यवसाय नही करेगा और न ही ऐसे व्यवसाय में किसी भी ऐसे व्यक्ति को सेवायोजित करेगा।
8. लाईसेन्स अधिकारी इन उपविधियों के अधीन खान–पान से सम्बन्धित व्यवसाय होटल, दुकानों हलवाईयों, सब्जी विक्रेताओं आदि की दुकानों के निरीक्षण के समय पाई जाने वाली गन्दगी के विरूद्व अथवा सड़ी गली फल सब्जियों को रखने व विक्रय करने के विरूद्व कार्यवाही करने अथवा मानव अनुपयोगी पदार्थ को नष्ट करने का अधिकार होगा।
9. प्रत्येक व्यापारी को चाहिये कि वह नगर निगम देहरादून कार्यालय से लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक निर्धारित प्रारूप में आवदेन करेगा और व्यवसाय हेतु आवश्यक शुल्क जमा कर लाईसेन्स प्राप्त कर सकेगा।
10. इन उपविधियों के अधीन खान–पान से सम्बन्धित व्यवसायो, दुकानदारों, व्यक्तियों की दुकान से अगल–बगल व सामने प्रवेश कक्ष के समक्ष दुकान का कूड़ा व अन्य अनुपयुक्त गन्दी वस्तुऐं रखनें व प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं होगा, जो किसी व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से हॉनिकारक/जनस्वास्थ्य के विपरीत हो।
11. लाईसेन्स धारक अपने लाईसेन्स/पंजीकरण का नवीनीकरण फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक नही कराता है तो उसे 15 अप्रैल के पश्चात् शुल्क पर विलम्ब शुल्क देय होगा, विलम्ब शुल्क निर्धारित शुल्क रू0–50 प्रतिदिन की दर से लाईसेन्स हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक देय होगा।
12. कोई भी व्यक्ति लाईसेन्स धारक अपना व्यवसाय कम अथवा समाप्त करेगा तो अपना लाईसेन्स निरस्त करने हेतु रू0–10 के स्टॉम्प पेपर पर प्रार्थना पत्र फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह के पूर्व प्रस्तुत करेगा जिसमें लाईसेन्स अधिकारी दुकान का निरीक्षण कराकर लाईसेन्स निरस्त करेगा।
13. इस उपविधि के किसी प्राविधान के बारे में राज्य सरकार यदि सन्तुष्ट है, कि उपविधि के किसी प्राविधान का दुरूप्रयोग है, अथवा कोई प्राविधान जनहित में नही है तो उक्त प्राविधान को परिष्कृत करने छूट देने का अधिकार राज्य सरकार हो होगा।
14. नगर निगम सीमन्तर्गत कोई व्यक्ति ऐसी वस्तुओं का व्यवसाय नहीं करेगा जिस पर राज्य सरकार/शासन द्वारा पूर्ण निषेध किया जा चुका है।
15. इन उपविधियों के प्रभावी होने की तिथि से स्वीकृत नियमावली में लिखित व्यवसायों/उद्यमों से सम्बन्धित पूर्व प्रभावी समस्त लाईसेन्स दर/उपनियम स्वतः समाप्त हो जायेंगे। इस नियम के अधीन होंगे।
16. केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य विधिनिहित संस्था के द्वारा निगम में उल्लेखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु लाईसेन्स इन उपविधियों से भिन्न होगें।
17. नगर निगम देहरादून द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के स्वामियों का एक रजिसटर बनाया जायेगा उसी के आधार पर वार्षिक लाईसेन्स प्रपत्र पर जारी जारी किया जायेगा। कोई व्यवसायी निर्धारित अवधि में लाईसेन्स नहीं बनाता है तो उससे लाईसेन्स धनराशि वसूली हेतु नगर निगम अधिनियम 1959 के अन्तर्गत प्रदत्त प्राविधानों भू–राजस्व की भांति वसूली करने का अधिकार नगर निगम देहरादून में सुरक्षित होगा।

18. नगर निगम देहरादून की सीमा के अन्तर्गत लगने वाले मेले में अस्थाई व्यवसाय की दरें जो व्वसाय सूची में नहीं है उनके लाईसेन्स दरें नगर निगम देहरादून के कार्यकारिणी समिति/नगर आयुक्त द्वारा तय की जा सकेगी।
19. कोई भी व्यक्ति नगर निगम सीमा के अन्तर्गत बोझ आदि ढ़ोने अथवा मजदूरी के रूप में किये जा रहें पारिश्रमिक कार्य से पूर्व अपनी सत्यापन अभिलेख दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत (सुरक्षा की दृष्टि से) करेंगे। उसके पश्चात उक्त कार्य कर सकेगा।
20. नर्सिंग होम/हॉस्पिटल आदि को बायोमेडिकल वेस्ट नियम का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
    (क) शैययाओं/बैडों हेतु कक्षों (कमरों) की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
    (ख) पर्यावरण और शुद्ध वायु की संतोषजनक व्यवस्था हो।
    (ग) पानी/स्नानागार एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था हो।
    (घ) वाहन पार्किंग की समुचित व्यवथा हो। जिस हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी समय–समय पर निरीक्षण करेंगे।
21. वैंकट हॉल/होटल को नगर निगम के द्वारा स्वच्छता के सम्बन्ध में समय–समय पर बनाये गये नियम व एस0डबलू0एम0 नियम 2000 का पालन प्रत्येक दशा में करना होगा। वाहनों हेतु पार्किंग होनी चाहिये, एवं वाहन फुटपाथ पर खड़े नहीं किये जायेंगे।
22. कोई भी व्यक्ति जो पशुओं का पालन करता हो जिसे वह बोझा ढ़ोने के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता हो तो प्रति पशु का नगर निगम देहरादून में निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उसके पशचात् ही उक्त प्रकार के पशुओं से बोझा ढ़ोने का कार्य करा सकेगा। पशु शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण भी देगा, अन्यथा उक्त की स्थिति में पशु क्रूरता अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा।
23. नगर निगम मेयर/नगर आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी को किसी भी समय किसी भी व्यवसाय/दुकान आदि के लाईसेन्स का परीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
24. नगर निगम द्वारा जारी किये जाने वाले कुछ लाईसेन्सों में यदि भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य द्वारा लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन होता हो तो उसके प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही नगर निगम के लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन जारी किये जायेंगे।
25. ट्रान्सपोर्ट/मोटर वाहन सेल्स एवं सर्विस आदि फुटपाथ/सड़क पर कोई वाहन खड़ा/सर्विस आदि नही करेगा।
26. यदि उपयुक्त लाईसेन्स/पंजीकरण जारी होने से विवाद उत्पन्न होता है तो नगर आयुक्त के समक्ष उसकी अपील होगी तथा नगर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध आदेश की तिथि के 30 दिन के अन्दर द्वितीय अपील मा0 नगर प्रमुख के समक्ष की जायेगी। नगर प्रमुख को 30 दिन के अन्दर अपील का निस्तारण करने का निर्णय देना होगा।
27. कोई भी व्यवसायी सड़क/फुटपाथ पर व्यवसाय करने का पात्र नहीं होगा।
28. पेट्रोल/डीजल ऑयल कम्पनी वितरण स्थल पर वॉहन को तेल भराने हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था एवं शौचालय/पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
29. धुलाई/लॉन्ड्री हेतु पानी की निकासी प्राविधानिक तरीके से अपनायी जाये।
30. कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि पर जनरेटर नही लगायेगा। जनरेटर इस तरह से लगाया जाय कि वो साउण्ड प्रूफ एवं पॉल्यूशन मुक्त हो।

<u>दण्ड</u>

नगर निगम सीमान्तर्गत तैयार की गयी उपरोक्त उपविधियों के किसी भाग/अंश का उल्लंघन होने पर रू0–5000.00 तक अर्थदण्ड किया जा सकेगा। जिसकी वसूली भू–राजस्व की भांति की जा सकती है । यदि समयान्तर्गत लाईसेन्स प्राप्त नहीं किया गया। उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से प्रतिदिन रू0–50.00 की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा।

<u>लाईसेन्सिंग हेतु मदवार दरें निम्नवत हैंः–</u>

क्र0 सं0	**मद का विवरण**	**निर्धारित दरें (वार्षिक) रू0**
1	वैंकट हॉल	50000
2	होटल लॉजिंग तथा गैस्ट हाउस 10 बैड तक	8000
3	होटल लॉजिंग तथा गैस्ट हाउस 11 से 15 बैड तक	10000
4	बिना स्टॉर 16 बैड से 20 बैड तक	15000
5	बिना स्टॉर 21 बैड से 30 बैड तक	20000
6	बिना स्टॉर 31 बैड से 50 बैड तक	25000
7.	50 बैड से ऊपर	35000
8	तीन सितारा होटल	45000
9	पांच सितारा होटल	80000
10	रेस्टोरेंट	20000
11	हॉस्पिटल/नर्सिग होम (1 से 20 बैड तक) मल्टी सुपर स्पैशाल्टि हास्पिटल	30000
12	हॉस्पिटल/नर्सिग होम (21 से 50 बैड तक) मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट	40000
13	हॉस्पिटल/नर्सिग होम (51 से 100 बैड तक) मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट	60000
14	हॉस्पिटल प्रसूति ग्रह (101 से उपर) मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हास्पिटल	80000
15	डाईग्नोस्टिक सैन्टर/पैथलॉजी सेन्टर/अल्ट्रासाउन्ड/ सी0टी0 स्कैन/ एक्स–रे	30000
16	एम0आर0आई0	25000
17	मेडिकल शॉप/आर्युवेदिक शॉप	30000
18	डेन्टल क्लीनिक	25000
19	प्राईवेट क्लीनिक	25000
20	यूनानी/आर्युवेदिक/होम्योपैथिक क्लीनिक	20000
21	प्रा0 पशु क्लीनिक	25000
22	प्रा0 पशु अस्पताल	35000
	परिवहन	
23	ट्रान्सपोर्ट बिना वाहन के (एजेन्सी)	20000
24	ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी वाहन सहित	30000
25	आटो रिक्शा 2 सीटर	1000
26	आटो/विक्रम/टाटा मैजिक सवारी वाहन 7 सीटर	5000
27	आटो रिक्शा 4 सीटर	2500
28	मिनी बस/सिटी बस	10000
29	बस (प्राईवेट)	10000
30	ट्रॉली/टैंकर पानी/सीवरेज टैंकर	5000
31	अन्य 4 पहिया वाहन व्यवसायिक प्रयोग हेतु सभी वाहन (इंजन चलित)	5000

32	स्कूटर एजेन्सी दो पहिया सेल्स अथवा सर्विस	40000
33	चार पहिया मोटर वाहन एजेन्सी सेल्स अथवा सर्विस	80000
34	साईकिल की दुकान सेल्स अथवा सर्विस	20000
35	ई0–रिक्शा की दुकान सेल्स अथवा सर्विस	30000
	पेट्रोलियम	
36	पेट्रोल पम्प / डीजल पम्प थोक (आयॅल कम्पनी)	30000
37	पेट्रोल पम्प / डीजल पम्प फुटकर	20000
38	जनरेटर व्यवसायिक	5000
39	दुकान अन्य पेट्रोलियम पदार्थ मोबिल ऑयल आदि	5000
	अन्य व्यवसाय	
40	आटा चक्की	5000
41	ड्राईक्लीनर / लॉन्ड्री	5000
42	साबुन फैक्ट्री	5000
43	आईस्क्रीम फैक्ट्री / कोल्ड ड्रिंक / सोडा वाटर फैक्ट्री	5000
44	कबाडी	20000
45	चूना भट्टा	5000
46	1. जूते कपड़े शोरूम ब्रान्डेड	30000
	2. जूते कपड़े नॉन ब्रान्डेड	20000
	3. शॉपिंग मॉल लाईसेन्स	60000
	4. कपड़े जूते की दुकान	15000
47	लोहा व्यापारी टिम्बर सीमेन्ट, ईट, रेता, पत्थर, मारबल,टाईल्स, सेनेटरी हार्डवेयर आदि फुटकर विक्रेता	50000
48	बिजली के सामान विक्रेता	20000
49	बेकरी उद्योग व्यवसाय	30000
50	हेयर कटिंग सैलून नॉन ऐसी	5000
51	यूनिसेक्स सैलून	30000
52	ब्यूटी पॉर्लर	5000
53	कुकिंग गैस एजेन्सी	30000
54	जनरल स्टोर थोक विक्रेता	15000
55	टेलरिंग हाउस	10000
56	कोयला थोक विक्रेता	20000
57	फ्लोर मिल	30000
58	ज्वैलर्स की दुकान ब्रान्डेड	80000
59	ज्वैलर्स की दुकान नॉन ब्रान्डेड	50000
60	विज्ञापन एजेन्सी	30000
61	पैट शॉप / पैट केयर	20000
62	भूसा	20000
63	केबिल, डिश टीवी कनैक्शन विक्रेता	40000
64	आर्किटैक्ट, कन्सलटैन्ट, विधि, चार्टेट एकाउन्टेन्ट, कास्ट एकाउन्टेंट	40000
65	फाईनेन्स कम्पनी चिट फन्ड	45000
66	इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	45000
67	प्राईवेट बैंक	50000
68	जनरल स्टोर किराना फुटकर विक्रेता	20000
69	रिटेल स्टोर	20000

70	बार बियर	50000
71	आईस फैक्ट्री	15000
72	टैन्ट हाउस	20000
73	किताबे की दुकान	20000
74	न्यूज पेपर एजेन्सी	20000
75	न्यूज पेपर विक्रेता	5000
76	टीबी फिज,इलैक्ट्रॉनिक सामान आदि विक्रेता	20000
77	फट्रीलाईजर शॉप	30000
78	मिठाई की दुकान	25000
79	सब्जी फल की दुकान	5000
80	सब्जी फल की आढत	20000
81	देसी शराब की दुकान	50000
82	फुटकर बियर शॉप	50000
83	अंग्रेजी शराब की दुकान	80000
84	अण्डा की विक्रेता दुकान	10000
85	मछली विक्रेता	10000
86	फर्नीचर शोरूम	50000
87	फर्नीचर की दुकान	20000
88	स्टोन क्रेशर	50000
89	साउन्ड डी0जे0की दुकान	10000
90	एम्पलीफायर लाईसेन्स	5000
91	बैन्ड मास्टर की दुकान	10000
92	फोटो स्टूडियो/विडियो फिल्म मेकर/साईबर कैफे/विडियो गेम	15000
93	प्रिन्टिंग प्रेस	50000
94	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र फ्रैन्चाईजी प्राप्त अन्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र व्यक्तिगत	20000 10000
95	कोचिंग सैन्टर रजिस्टर्ड फ्रैन्चाईजी प्राप्त कोचिंग सैन्टर रजिस्टर्ड (व्यक्तिगत)	20000 15000
96	मोबाईल टॉवर प्रति टॉवर	50000
97	लोहार	10000
98	गोदाम (समस्त प्रकार)	20000
99	धर्मकांटा	30000
100	1. रिक्शा लाईसेन्स स्वंय का रिक्शा 2. रिक्शा लाईसेन्स किराये का रिक्शा 3. रिक्शा चालक का लाईसेन्स 4. रिक्शा चालक चिकित्सा शुल्क 5. ई–रिक्शा 6. वाहन प्रचार शुल्क बिना साउन्ड 7. वाहन प्रचार शुल्क साउन्ड सहित	800 1000 300 150 2000 1000 प्रतिदिन 1500 प्रतिदिन
101	हाथ ठेली लाईसेन्स	1500
102	उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य व्यवासय	3000
103	मेला एंव प्रदशनी हेतु अस्थाई लाईसेन्स	150 sqf Per day
104	जिम/व्यायाम शाला/ खेल इत्यादि	20000

105	सिनेमा हॉल सिंग्ल स्क्रीन	20000
106	प्रोपर्टी डीलर	50000
107	प्राईवेट स्कूल कक्षा 5 तक (प्राईमरी)	25000
108	प्राईवेट स्कूल कक्षा 8 तक (जूनियर हाई स्कूल)	30000
109	प्राईवेट स्कूल कक्षा 10 तक (हाई स्कूल)	40000
110	प्राईवेट स्कूल कक्षा 12 तक (इन्टर मीडियेट)	50000
111	फ्लावर नर्सरी	30000

अतः देहरादून नगर क्षेत्र के समस्त व्यापारियों एवं व्यवसाईयों से व्यवसायिक पंजीकरण उपविधि पर उपविधि/नीति प्रकाशन की तिथि दिनांक 19.01.2020 से 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 17.02.2020 की सांय 5.00 बजे तक आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते है। दिनांक 17.02.2020 के पश्चात प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार नही किया जायेगा। प्रस्तावित उपविधि/नीति नगर निगम की वेबसाईट www.nagarnigamdehradun.com पर भी उपलब्ध है।

(विनय शंकर पाण्डेय)
नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

प्रतिलिपिः–

1. सम्पादक ''हिन्दुस्तान हिन्दी'' को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं 30 प्रतिशत छूट के साथ बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
2. सम्पदाक''द पाईनियर''अंग्रेजी समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
3. श्री मनीष पन्त आई0टी0 आफीसर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. नोटिस बोर्ड नगर निगम पर चस्पा हेतु।
   कार्यालय प्रति।

नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।